मॉड्यूल 4

मजदूरों की हकदारी और सामाजिक सुरक्षा

सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)

मजदूरों की हकदारी और सामाजिक सुरक्षा

सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)
173-ए, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017
फोन : 91-11-29541841/29541858
फैक्स : 91-11-29542464,
ई-मेल : cec@cec-india.org, **वेबसाइट** : www.cec-india.org

मई 2018

परिकल्पना एवं रचना :
दी इन्फॉर्मेशन ऐण्ड फीचर ट्रस्ट
लक्ष्मी (कैयदम), तोंडयाड, कालीकट - 17
सामग्री निर्माण : **विवेक सिंह**
विजुअल प्रस्तुति : **प्रविण मिश्रा**

यह मॉड्यूल **सीईसी** द्वारा **प्रयास** एवं **टेरे डे होम्स (टीडीएच)** की साझेदारी में और **यूरोपीय यूनियन** की वित्तीय सहायता से चलायी जा रही परियोजना **'एम्पॉवरिंग सीएसओज़ फॉर डीसेंट वर्क ऐण्ड ग्रीन ब्रिक्स इन इंडियाज़ ब्रिक किल्न्स'** के अंतर्गत तैयार किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा क्या होती है

सामाजिक सुरक्षा क्या होती है

सामाजिक सुरक्षा क्या होती है?

सामाजिक सुरक्षा सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों या आबादी को दी जाने वाली सुविधाओं को कहते हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार की सुरक्षा की जरूरत है।

ये सुविधाएं आमतौर पर ऐसे लोगों और तबकों को दी जाती हैं जो सामाजिक या आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे लोग जो बीमारी, जचगी, काम के दौरान लगी चोट, व्यावसायिक बीमारी, बेरोजगारी, अपंगता, बुढ़ापे और मृत्यु आदि के कारण संकट में हैं और उनकी आमदनी या तो पूरी तरह बंद हो चुकी है या काफी कम रह गई है।

सामाजिक सुरक्षा क्या होती है

मजदूर सामाजिक सुरक्षा का लाभ कैसे लें?

सरकार की तरफ से दिए जा रहे सामाजिक सुरक्षा लाभों का फायदा उठाने के लिए मजदूरों को सबसे पहले अपने मालिक या नियोक्ता के हाजिरी रजिस्टर या उन योजनाओं को लागू करने वाली सरकारी संस्थाओं के पास अपना नाम लिखाना चाहिए। यह बात भट्टा मजदूरों के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भट्टों में मजदूरों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रथा नहीं होती और वे असंगठित क्षेत्र में आते हैं।

इसीलिए, अगर सरकार की तरफ से कहीं भी ऐसे मजदूरों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए पंजीकरण कैम्प चलाए जाते हैं या कोई और कार्यक्रम चलाया जाता है तो सभी मजदूरों को वहां जाकर अपना नाम जरूर लिखाना चाहिए।

हकदारी क्या होती है?

हकदारी क्या होती है?

किसी चीज को पाने, करने या रखने के अधिकार को हकदारी कहा जाता है। ये ऐसे प्रावधान होते हैं जो समाज में लागू कानूनों के मुताबिक तय किये जाते हैं।

ये सरकारी कार्यक्रम होते हैं जिनसे समाज के खास तबकों को लाभ मिलते हैं।

यहां हम भट्टा मजदूरों की हकदारी और सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि उनके लिए सरकार ने क्या लाभ मुहैया कराए हैं।

भारत में भट्टा मजदूरों के लिए कौन-सी योजनाएं, प्रावधान और हकदारी उपलब्ध हैं?

पिछले मॉड्यूल में हुई चर्चा के माध्यम से हम पहले ही फैक्ट्री कानून, ठेका (नियमन एवं उन्मूलन) कानून और अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून के प्रावधानों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि भट्टा मजदूरों पर इन कानूनों के कौन से प्रावधान लागू होते हैं। अगर इन कानूनों के कल्याणकारी प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो यह भट्टा मजदूरों के अधिकार की अवहेलना है। संविधान के अनुच्छेद 21 में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है।

हकदारी क्या होती है?

मजदूरों की हकदारी पर सर्वोच्च न्यायालय की राय

“अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) कानून, 1979 तथा ठेका मजदूरी (नियमन एवं उन्मूलन) कानून, 1970 के तहत ठेकेदार की ओर से मजदूरों को जो अधिकार और लाभ दिए गए हैं उनका मकसद यह है कि मजदूरों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। अगर मजदूरों को इन दोनों कल्याणकारी कानूनों के प्रावधानों के तहत उपलब्ध अधिकारों या लाभों से वंचित किया जाता है तो यह सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।”

भट्टों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर होते हैं। इसके फलस्वरूप, वे अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा के हकदार बन जाते हैं।

इसका कारण यह है कि उन्हें ठेकेदार ही स्रोत राज्य से भर्ती करके लक्ष्य राज्य में भट्टे पर लाते हैं। इस तरह ये मजदूर अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कानून की धारा 2(ई) के तहत आ जाते हैं।

गौरतलब है कि प्रवासी मजदूरों की भर्ती करने और उन्हें भट्टों पर लाने के लिए ठेकेदार या मालिकों का स्रोत राज्य में जाना जरूरी नहीं है।

हकदारी क्या होती है?

धारा 2(ई) के तहत भर्ती मानदंडों के अनुसार अगर ठेकेदार किसी और मजदूर के जरिए अपना संदेश भिजवाता है और अगर मजदूर इस संदेश के आधार पर उस भट्टे पर पहुंच जाते हैं जहां ठेकेदार उन्हें ले जाना चाहता है तो ऐसे मजदूरों को भी उस ठेकेदार द्वारा भर्ती किया गया ही माना जाएगा। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में कही है।

लिहाजा, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कानून 1979 के चलते ऐसे सभी प्रवासी मजदूर श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1973, कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948, न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948] कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिश्रित कानून, 1952 और प्रसूति लाभ कानून, 1961 के तहत मिलने वाले लाभों के हकदार बन जाते हैं।

इन कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं इस प्रकार हैं :

- कानून की नजर में ईंट भट्टे भी फैक्ट्री की श्रेणी में आते हैं। मजदूरों के स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी कल्याण के सवालों पर फैक्ट्री कानून, 1948 के प्रावधान भट्टा मजदूरों पर भी लागू होते हैं।

हकदारी क्या होती है?

हकदारी क्या होती है?

- साल में 240 दिन से अधिक काम कर चुके प्रत्येक वयस्क मजदूर को प्रति 20 दिन के बदले एक दिन की वेतन-सहित छुट्टी का अधिकार होता है। वह इस छुट्टी को साल के दौरान या साल पूरा होने पर ले सकता है।
- महिला मजदूरों को अधिकतम 26 हफ्ते का वेतन सहित प्रसूति अवकाश (जचगी छुट्टी) मिल सकता है।
- फैक्ट्री कानून, 1948 के अनुसार जिन फैक्ट्रियों में 500 से अधिक मजदूर होते हैं वहां नर्सिंग स्टाफ से लैस एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए।
- जिन फैक्ट्रियों में 250 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं वहां एक कैंटीन होनी चाहिए। जहां 150 या इससे अधिक मजदूर काम कर रहे हैं वहां शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम भी होने चाहिए। जिस फैक्ट्री में 30 या इससे अधिक महिलाएं काम करती हैं वहां क्रैच और बालवाड़ी भी होनी चाहिए।

हकदारी क्या होती है?

“अगर फैक्ट्री कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तो आप लेबर इंस्पेक्टर या दूसरे लेबर अधिकारियों से बात कर सकते हैं और उन्हें भट्टे के मुआयने के लिए बुला सकते हैं। ये अधिकारी भट्टे पर मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण संबंधी उपायों का मुआयना कर सकते हैं।”

कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिश्रित प्रावधान कानून, 1952

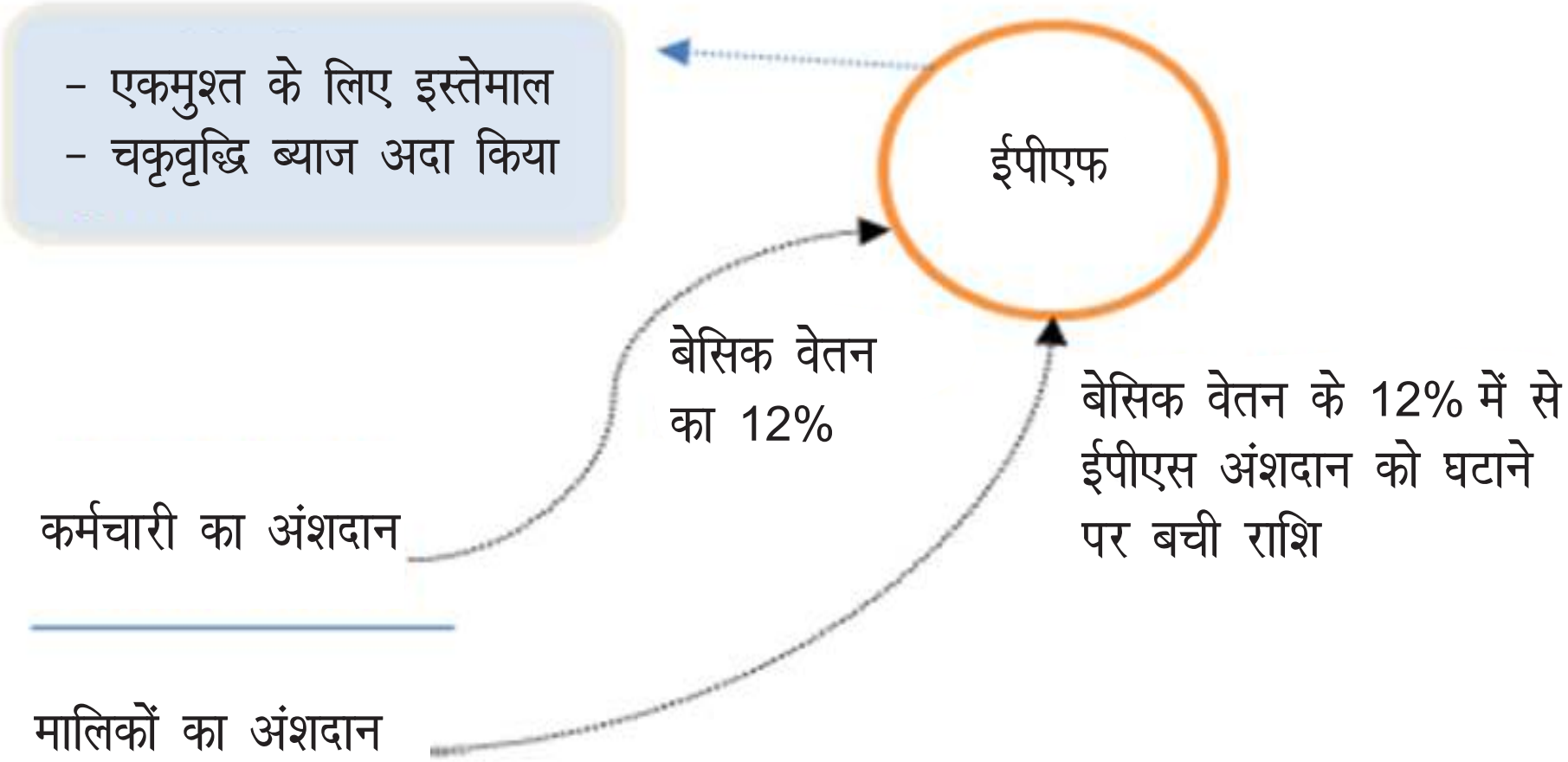

कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिश्रित प्रावधान कानून, 1952

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को आमतौर पर हम केवल भविष्य निधि (प्रॉविडेंट फंड या पीएफ) के नाम से जानते हैं। यह भारत में सभी वेतनभोगी लोगों के लिए उपलब्ध एक दीर्घकालिक बचन एवं पेंशन योजना है।

ईट भट्टों को ईपीएफ और एमपी कानून के तहत 27.11.80 से अधिसूचना संख्या S.85 35016(5)/76-PF.II के जरिए एक अनुसूचित उद्योग (शेड्यूल्ड इंडस्ट्री) की श्रेणी में रखा गया है।

इसका मतलब यह है कि जिन भट्टों में 20 या इससे अधिक मजदूर काम करते हैं उन्हें ऐसे प्रतिष्ठानों की श्रेणी में रखा जाएगा जहां इस कानून और इसके तहत बनाई गई योजनाओं के प्रावधान लागू होते हैं।

भट्टे में काम करने वाले मजदूर और कुल 90 दिन की नौकरी के दौरान कम से कम 60 दिन काम कर चुके मजदूरों/कर्मचारियों को भी भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन निधि, एम्प्लाईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड का सदस्य बना लिया जाता है।

ईपीएफ की व्यवस्था के तहत मालिक को कर्मचारी भविष्य निधि में बेसिक वेतन के 8-33 प्रतिशत के बराबर अंशदान मंहगाई भत्ते और रीटेनिंग भत्ते के रूप में जमा कराना होता है। यह नियम

कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिश्रित प्रावधान कानून, 1952

प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होता है चाहे किसी को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी पर रखा गया हो या ठेकेदार के जरिए नौकरी पर रखा गया हो।

मजदूरों/कर्मचारियों का अंशदान मालिक द्वारा जमा कराए गए अंशदान के बराबर होता है। अगर कोई कर्मचारी चाहे तो वह सामान्य से अधिक अंशदान भी जमा करा सकता है। मजदूर की ओर से जमा कराए गए भविष्य निधि के अंशदान को मजदूर की तनख्वाह में से काट लिया जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य निधि में मालिक/नियोक्ता द्वारा जमा कराया गया अंशदान आमतौर पर उतना ही होता है जितना कर्मचारियों/मजदूरों का अंशदान होता है।

मजदूरों को ये मालूम होना चाहिए कि उनके अंशदान के एवज में उनकी तनख्वाह में से ही भविष्य निधि के लिए भी कटौती की जाएगी।

इसके अलावा, फैक्ट्री कानून, 1948 के मुताबिक समय-समय पर पारिवारिक पेंशन निधि में भी एक राशि जमा करायी जाएगाी जो पीएफ राशि के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिश्रित प्रावधान कानून, 1952

इस कानून में मालिकों को डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड में भी अपना अंशदान जमा कराने का निर्देश दिया गया है ताकि कर्मचारियों को जीवन बीमा योजना का लाभ मिल सके।

“पैसे के सवाल पर समय-समय पर विवाद उठते रहते हैं। इस तरह के विवादों से बचने के लिए फैक्ट्री कानून, 1948 के तहत केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, किसी भी अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, किसी भी भविष्य निधि उपायुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त या किसी भी सहायक भविष्य निधि आयुक्त को जांच करके इन विवादों के निपटारे का अधिकार दिया गया है।”

भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर (बीओसीडब्ल्यू) कानून 1996 / भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण उपकर कानून, 1996 के तहत मिलने वाले अधिकार

बीओसीडब्ल्यू कानून में प्रावधान किया गया है कि सभी फैक्ट्रियों का पंजीकरण होना चाहिए। इसके अलावा, काम के घंटे, कल्याणकारी उपायों, मजदूरों के लिए उचित हालात और ओवरटाइम तनख्वाह के बारे में नियम भी तय किए गए हैं। पहले इन मदों में कुछ गलतफहमी थी मगर अब सरकार ने बीओसीडब्ल्यू कानून के तहत भट्टा मजदूरों को कार्यस्थल पर या उनके मूल निवास क्षेत्र में पंजीकरण के माध्यम से इस कानून के तहत मिलने वाले फायदों का हकदार बना दिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिश्रित प्रावधान कानून, 1952

इस कानून के तहत मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे सभी निर्माण मजदूरों को कार्यस्थल पर या उसके आसपास ही रहने की अस्थाई सुविधा प्रदान करें। इन मकानों में पीने का पानी, लेट्रिन और मूत्रालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

इस कानून के तहत मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक निर्माण मजदूर को एक निश्चित तारीख को या उससे पहले मजदूरी का भुगतान करें।

मजदूरों के कल्याण के लिए लेवी और उपकर की वसूली का भी प्रावधान किया गया है। इस राशि की दर मालिक द्वारा वहन की जा रही निर्माण लागत का अधिकतम 2% और कम से कम 1% होनी चाहिए।

भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर बोर्ड द्वारा पंजीकरण के लिए योग्यता

इस बोर्ड के तहत पंजीकरण के लिए मजदूर की उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि वह मजदूर एक निर्माण मजदूर के तौर पर 90 दिन काम कर चुका/चुकी हो।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिश्रित प्रावधान कानून, 1952

पंजीकृत मजदूरों को बोर्ड की तरफ से एक पंजीकरण बुकलेट दी जाती है। पंजीकृत मजूदरों को एक निश्चित अवधि पर फिर से अपना पंजीकरण कराना होता हैं।

भट्टा मजदूरों में ज्यादातर मजदूर प्रवासी मजदूर होते हैं। ऐसे मजदूरों के पंजीकरण के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके निवास क्षेत्र में भी मजदूरों के पंजीकरण के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर बोर्ड द्वारा मजदूरों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं :

1. बाल लाभ योजना
2. प्रसूति लाभ योजना
3. बालिका सहायता योजना

कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिश्रित प्रावधान कानून, 1952

4. विकलांगता पेंशन योजना
5. मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
6. निर्माण मजदूरों हेतु पुत्री विवाह योजना
7. मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता योजना
8. कौशल विकास तकनीकी स्तरोन्नयन एवं प्रमाणन योजना
9. पेंशन योजना
10. मेधावी विद्यार्थी योजना
11. गंभीर रोग सहायता योजना
12. सौर ऊर्जा सहायता योजना

कर्मचारी भविष्य निधि एवं मिश्रित प्रावधान कानून, 1952

13. मिड डे मील योजना
14. आवासीय पाठशाला योजना
15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
16. संत रविदास शिक्षा सहायता योजना

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

ग्रेच्युटी मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को किया जाने वाला एक पूरक भुगतान होता है। यह या तो रिटायमेंट के समय कर्मचारी को मिलता है या नौकरी छोड़ने के समय उसको अदा किया जाता है।

इस कानून के प्रावधान फैक्ट्री कानून, 1948 के अनुसार फैक्ट्री की परिभाषा के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू हाते हैं।

ईंट भट्टा मजदूर भी ग्रेच्युटी भुगतान कानून के अंतर्गत आते हैं और पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर वे इस कानून के तहत उपलब्ध सभी लाभों के भी हकदार हो जाते हैं।

जिन कर्मचारियों या मजदूरों ने अपने मालिक के पास लगातार पांच साल तक काम कर लिया है वे ग्रेच्युटी के योग्य माने जाते हैं। ग्रेच्युटी की राशि उन्हें रिटायमेंट, इस्तीफा देने, विकलांगता या मृत्यु के फलस्वरूप नौकरी खत्म होने की स्थिति में अदा की जाती है।

अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जितने सालों तक उसने कंपनी में काम किया है, उतने सालों के बदले उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। ऐसी स्थिति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कर्मचारी कंपनी में कितने समय से काम कर रहा था।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

अगर कोई कर्मचारी किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हो जाता है तो उसे उतने साल के बदले ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा जितने साल तक उसने काम किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कंपनी में कितने समय पहले आया था। ग्रेच्युटी के मद में एक साल की नौकरी के बदले 15 दिन की मजदूरी दी जाती है। यहां मजदूरी का मतलब है कर्मचारी को मिली अंतिम तनख्वाह।

अगर कंपनी मालिक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कर्मचारी/मजदूर को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करता है तो मजदूर उस इलाके में ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत गठित नियंत्रण प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकता है जहां वह प्रतिष्ठान स्थित है या जहां नौकरी छोड़ने के समय वह कर्मचारी काम कर रहा था।

शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की ओर से कलेक्टर के नाम उस राशि का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। कलेक्टर यह राशि और केंद्र सरकार द्वारा तय की गई दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की राशि मालिक से वसूल करेगा। इसके अलावा, पीड़ित व्यक्ति राहत और न्याय के लिए लेबर कोर्ट में भी जा सकता।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923

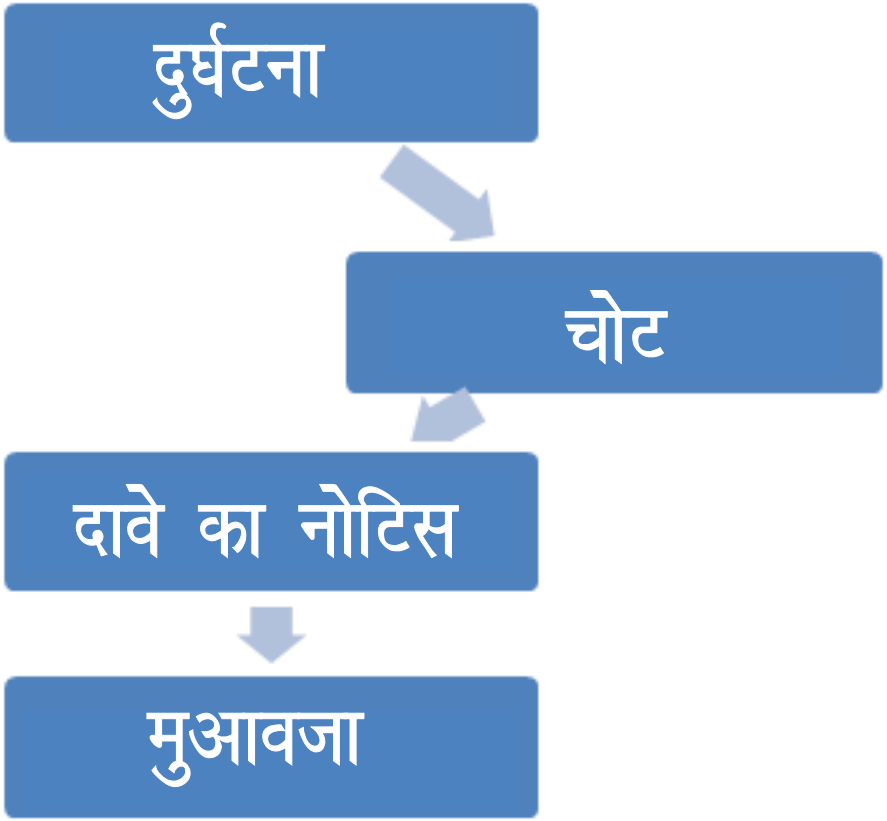

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923

इस कानून में खास श्रेणियों के मजदूरों के लिए दुर्घटना स्वरूप लगने वाली चोट के बदले मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

यह कानून संबंधित व्यवसाय या रोजगार के कारण पैदा होने वाली व्यावसायिक बीमारियों पर भी लागू होता है। इन मदों में मुआवजे की राशि संबंधित चोट के कारण हुई विकलांगता और फलस्वरूप कमाने की क्षमता में आई कमी के अनुपात में तय की जाती है।

क्या ठेका मजदूर भी इस कानून के लाभ ले सकते हैं?

अगर किसी प्रतिष्ठान या कंपनी के काम का कोई हिस्सा किसी ठेकेदार को सौंप दिया गया है और कोई मजदूर उस ठेकेदार के तहत काम कर रहा है और काम के दौरान घायल हो जाता है तो ठेकेदार की नहीं बल्कि प्रधान नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह उस मजदूर को अपने अन्य मजदूरों के बराबर मानते हुए उसके नुकसान का मुआवजा अदा करे।

मगर, प्रधान नियोक्ता के पास इस भुगतान को ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार भी है। ठेकेदार और मालिक के बीच चाहे जो भी लेनदेन हो, मजदूर प्रधान नियोक्ता से मुआवजे की सीधे मांग कर सकता है।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923

मालिक को भुगतान कब करना चाहिए?

कानून की धारा 3 के मुताबिक मालिक पर मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी तब आती है जब कोई मजदूर ऐसी किसी दुर्घटना के कारण घायल हुआ हो जोकि :

(1) काम के कारण हुई हो (यानी काम करने के दौरान दुघटना हुई हो) तथा;

(2) काम के दौरान घटी हो (यानी काम के घंटों के दौरान दुर्घटना हुई हो); और

(3) उसके कारण मजदूर विकलांग हो गया हो।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923

विवादों का निपटारा

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923

विवादों का निपटारा

अगर मालिक नोटिस जारी होने के बाद और दुर्घटना की 30 दिन बाद भी मुआवजे का भुगतान नहीं करता है या मालिक और मजदूर के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है तो मजदूर की तरफ से लेबर ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लेबर ऑफिसर की और से शिकायत पर जो कार्रवाई होती है वह अर्धन्यायिक किस्म की मानी जाती है।

अगर मजदूर घायल होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तेजी से मजदूरों के दावों का निपटारा करे। श्रमिक क्षतिपूर्ति से संबंधित मुकदमे में तकनीकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है मगर मालिक का पक्ष भी सुनना जरूरी है और जांच की जरूरत भी पड़ सकती है इसलिए न्यूनतम प्रक्रिया का पालन किया जाता है। चूंकि इस कार्रवाई में सरकार का काफी समय चला जाता है इसलिए सरकार की ओर से यह जिम्मेदारी निभाने के लिए श्रम आयुक्त को कार्यभार सौंप दिया जाता है।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923

मुआवजे का दावा कौन कर सकता है?

घायल कर्मचारी या उसकी ओर से तय किया गया काई व्यक्ति श्रमिक मुआवजे के लिए श्रम आयुक्त के दफ्तर में दावा दायर कर सकता है। आमतौर पर घायल कर्मचारी की तरफ से कोई वकील ही दावा दायर करता है।

प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही समाज कल्याण योजनाओं को लागू करने में एक बड़ी समस्या अंतर्राज्यीय प्रवासन के कारण पैदा होती है। हमारे देश में कई ऐसी योजनाएं हैं जो निश्चित राज्यों में ही चल रही हैं और उनका लाभ लेने के लिए जरूरी है कि मजदूर के पास उस राज्य में पहचान के निश्चित दस्तावेज उपलब्ध हों। भट्टों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर मौसमी मजदूर होते हैं जिसके चलते वे पूरे परिवार के साथ हर साल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। इसके कारण ऐसे मजदूरों की पूरी जनगणना रखना मुश्किल होता है और फलस्वरूप उनके लिए चलाई जा रही समाज कल्याण योजनाओं को अच्छी तरह लागू करना भी कठिन हो जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

इस योजना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को प्रतिवर्ष 750 रुपये के रियायती प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमे की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के 5 सदस्यों वाले परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर 30,000 रुपये तक के खर्चे की भरपाई की जाती है।

यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि समाज के सबसे हाशियाई तबकों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पूरी पहुंच मिले।

बीपीएल परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कुछ खास सूचीबद्ध मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा की योजना प्रदान करना आरएसबीवाई योजना का मुख्य उद्देश्य है।

स्वास्थ्य बीमा की पोर्टेबिलिटी इस योजना का एक खास पहलू है। पोर्टेबिलिटी के लिए एकमात्र कसौटी यह है कि लाभान्वित परिवार इस योजना के तहत भारत के किसी भी भाग में पंजीकृत हो।

कोई भी लाभान्वित जो देश के किसी भी जिले में इस योजना के तहत पंजीकृत है, वह आरएसबीवाई योजना के तहत सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में अपने स्मार्ट कार्ड का प्रयोग

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

करके इलाज करा सकता है। आरएसबीवाई योजना के तहत निजी और सरकारी, दोनों तरह के अस्पतालों को पैनल में रखा गया है।

इस योजना के तहत मिलने वाले कार्डों को विभाजित भी किया जा सकता है ताकि प्रवासी मजदूर कवरेज का एक हिस्सा अलग से अपने लिए लेकर जा सकें।

आरएसबीवाई योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना में केंद्र सरकार की तरफ से 75% और राज्य सरकारों की तरफ से 25% अंशदान दिया जाता है।

इस योजना के तहत प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो अस्पताल में दाखिले के समय वह अस्पताल के अधिकारियों को अपना बीमा कार्ड दिखाए। अगर कोई व्यक्ति या दंपति एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं और परिवार के बड़े-बूढ़े गांव में छूट जाते हैं तो अस्पताल में भर्ती के समय वे लोग बीमा कार्ड नहीं दिखा सकते।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

आरएसबीवाई योजना में नाम कैसे लिखाया जाए?

प्रत्येक गांव में जब आरएसबीवाई योजना के लिए लोगों के नाम लिखे जाते हैं तो बीपीएल परिवारों की सूची गांव के मुख्य स्थानों पर लगा दी जाती है। इसके अलावा, पंजीकरण की तारीख और स्थान का ब्यौरा भी पहले ही प्रचारित कर दिया जाता है।

प्रत्येक गांव में स्थानीय केंद्रों (जैसे सरकारी स्कूल) में मोबाइल पंजीकरण केंद्र भी चलाए जाते हैं। इन केंद्रों में आवेदकों की बायोमीट्रिक सूचना यानी उंगलियों के निशान और आवेदक परिवार के सदस्यों के फोटो लेने के लिए जरूरी मशीनें और फोटो युक्त स्मार्ट कार्ड छापने के लिए प्रिंटर उपलब्ध होता है।

स्मार्ट कार्ड के साथ-साथ आवेदक को एक सूचना पर्चा भी दिया जाता है जिसमें योजना का पूरा ब्यौरा और उन अस्पतालों की सूची दी गई होती है जहां बीमाधारक व्यक्ति इलाज करा सकते हैं। स्मार्ट कार्ड और सूचना पर्चा मौके पर ही लाभान्वित को दे दिया जाता है। इसके लिए लाभान्वित से 30 रुपये की फीस ली जाती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 10 मिनट से भी कम समय लगता है। यह कार्ड आवेदक को प्लास्टिक के कवर में दिया जाता है।

समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

हलांकि मौजूदा नीतियों में ये निर्देश दिया गया है कि शिक्षा और आईसीडीएस जैसी योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाए मगर अभी स्थिति यही है कि भट्टा मजदूरों को शिक्षा या आईसीडीएस को कोई लाभ नहीं मिल पाता।

यह कमी इसलिए रह जाती है क्योंकि अभी भी मौसमी प्रवासियों की विशाल संख्या तक पहुंचने के लिए सरकार ने सेवा विभागों को कोई सुविधा नहीं दी है।

आशा

आशा

आशा कार्यकर्ता (एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ ऐक्टिविस्ट) एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है।

आशा कार्यक्रम 2005 से देश में लागू किये जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस कार्यक्रम के तहत गांव में से ही सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए योग्य महिलाओं का चयन और नियुक्ति की जाती है। ये महिलाएं समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता देती हैं।

एनआरएचएम के दूसरे चरण के क्रियान्वयन के साथ आशा कार्यक्रम अब स्वास्थ्य व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है।

आशा कार्यकर्ता को उसी गांव में तैनात किया जाता है जिस गांव में वह रहती हैं। इस तरह वह अपने समुदाय और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच एक पुल के रूप में काम करती हैं।

आशा

आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां

- आशा कार्यकर्ता अपने गांव में सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं। गांव में कोई भी स्वास्थ्य समस्या पैदा होने पर लोग सबसे पहले उन्हीं के पास आते हैं। वह गर्भवती महिलाओं को समझाती हैं कि उन्हें अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में ही बच्चे को जन्म देना चाहिए। वे सभी बच्चों व माओं को टीकाकरण के लिए समझाती हैं और अन्य सरकारी स्वास्थ्य अभियानों में भी अहम भूमिका अदा करती हैं।
- ये कार्यकर्ता प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रेफरल और एस्कॉर्ट्स सेवाओं में सरकार और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाती हैं। वे घरेलू शौचालयों के निर्माण में भी मदद देती हैं।
- वे समुदाय के लोगों को सही खानपान, साफ-सफाई की सही आदतों, स्वस्थ जीवन और उचित कार्यपरिस्थितियों के बारे में सलाह व जानकारियां देती हैं।
- वे गर्भवती महिलाओं को बताती हैं कि उन्हें प्रसव के लिए किस तरह तैयारी करनी है। वे उन्हें सुरक्षित प्रसव यानी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के महत्व से अवगत कराती हैं।

आशा

वे उन्हें स्तनपान, पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भनिरोध और यौन संक्रामक बीमारियों सहित आम बीमारियों से बचने के तरीके भी बताती हैं।

- वे समुदाय को इसके लिए प्रोत्साहित करती हैं कि लोग आंगनवाड़ी/स्वास्थ्य उप-केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ उठाएं।
- सरकार की तरफ से भेजी जाने वाली ओरल रीहाइड्रेशन थैरेपी (ओआरएस) किट, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां (आईएफए), क्लोरोक्वीन, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट (डीडीके), गर्भनिरोधक गोलियां और कॉन्डोम आदि आशा कार्यकर्ताओं के पास ही रहते हैं।

ऑग्ज़िलरी नर्स मिडवाइफ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एएनएम)

ऑग्ज़िलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभाती हैं।

वे आशा कार्यकर्ताओं के साथ हर हफ्ते/हर 15 दिन में एक मीटिंग करती हैं और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देती हैं। वे इस बारे में चर्चा करती हैं कि अगले एक हफ्ते/15 दिन के

आशा

भीतर कौन सी गतिविधियां की जाएंगी और अगर आशा कार्यकर्ताओं को कोई समस्या पेश आती है तो वे उनसे निपटने का रास्ता भी बताती हैं।

एएनएम इस बात पर भी नजर रखती हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को उनके काम का उचित पारिश्रमिक मिले और प्रशिक्षण के लिए आने-जाने पर उन्हें यात्रा/मंहगाई भत्ता भी अदा किया जाए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं को महीने में एक/दो बार आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य दिवस के आयोजन जैसी गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन देती हैं। वे महिलाओं को सही खानपान, शरीर की सफाई, गर्भावस्था के दौरान देखभाल, टीकाकरण के महत्व आदि के बारे में भी जानकारी देती हैं।

सरकार से दवाइयों की खेप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास ही भेजी जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन दवाइयों को आशा कार्यकर्ता को जारी कर देती हैं।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) को राशन की दुकान भी कहा जाता है। यह सरकार की तरफ से लोगों को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराने की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है।

बीते सालों के दौरान पीडीएस व्यवस्था 'खाद्य सुरक्षा' का पर्याय बन चुकी है और यह देश भर में सभी को भोजन मुहैया कराने की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सरकार ने लक्ष्य केंद्रित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (टीपीडीएस) योजना 1997 में शुरू की थी। टीपीडीएस कार्यक्रम मुख्य रूप से गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था। टीपीडीएस कार्यक्रम मे तहत राशन की दुकानों के जरिए गरीबों को भोजन और ईंधन बहुत ही सस्ते दर पर दिया जाता है।

टीपीडीएस कार्यक्रम के तहत सरकार किसानों से अनाज और चावल खरीदती है। केंद्र सरकार से यह अनाज राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। राज्य सरकारें उन्हें राशन की दुकानों पर भेजती हैं जहां से स्थानीय लोग इस अनाज को सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)

इस योजना के लिए गरीबों की पहचान करने, अनाज की सरकारी खरीद और लाभान्वितों तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निभाते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून मे माध्यम से टीपीडीएस कार्यक्रम को एक ठोस कानूनी हैसियत मिली है।

यह कानून भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस कानून में आबादी को तीन श्रेणियां में बांटा गया है : वंचित (यानी समाज के वे लोग जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं हैं), प्राथमिकता श्रेणी (ऐसे परिवार जिनके पास सीमित सुविधाएं हैं), और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई; अधिक हकदारी वाली श्रेणी)। इस कानून में केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं और अगर संबंधित लाभान्वितों को उनके लिए निर्धारित सेवाओं की डिलीवरी नहीं मिल पाती है तो शिकायतों की सुनवाई का प्रावधान भी किया गया है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)

Benefits under the PDS system

Evolution of PDS	Timelines	Details
PDS	1940s	Launched as a general entitlement scheme
TPDS	1997	PDS was revamped to large poor households
Antyodaya Anna Yojana	2000	Scheme launched to target the poorest to poor
PDA control order	2001	Government notified this order to administer TPDS
PUCL vs UOI	2001	Landmark case in SC bringing Right to Food under the ambit of Article 21
National Food Security Act	2013	Act to provide legal right to food bringing all the existing food related schemes and programmes under one umbrella.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए), जो 2013 में पारित किया गया था, और जो पिछले साल नवंबर में पूरे देश में लागू किया जा चुका है, के तहत सरकार हर महीने प्रति व्यक्ति ५ किलो अनाज देती है। इस तरह, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति माह 1-3 किलो तक अनाज मिल जाता है।

एनएफएसए के तहत एपीएल (गरीबी की रेखा से ऊपर - अबाव पॉवर्टी लाइन) श्रेणी को खत्म कर दिया गया है और अब योग्य परिवारों को दो स्पष्ट रूप श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है : प्राथमिकता वाले परिवार, जिन्हें प्रति माह प्रति व्यक्ति ५ किलोग्राम अनाज मामूली कीमत पर दिया जाता है और अंत्योदय परिवार (सबसे निर्धन परिवार) जिन्हें प्रति माह प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलता है।

इस कानून में महिलाओं व बच्चों के सही पोषण पर खासतौर से जोर दिया गया है।

गर्भावस्था के दौरान और बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद तक गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माओं को न केवल समुचित आहार दिया जाता है बल्कि उन्हें कम से कम 6,000 रुपये तक का जचगी लाभ भी दिया जाता है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)

14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को निर्धारित खानपान मानकों के अनुसार पोषक आहार देने का प्रावधान किया गया है। अगर उन्हें निर्धारित अनाज या आहार नहीं मिलता है तो संबंधित लाभान्वितों को खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलता है।

इस कानून में जिला एवं राज्य स्तर पर शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था भी तय की गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए इस कानून में अलग से भी प्रावधान किए गए हैं।

एनएफएसए के तहत सब्सिडी पाने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 8 फरवरी 2017 को आधार कानून के तहत एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें ये निर्देश दिया गया था कि राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत सब्सिडी पाने के लिए या तो अपना आधार नंबर बताना होगा या आधार कार्ड बनवाना होगा।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)

एनएफएसए में एक ही कानून के तहत अनाज के अधिकार और उपलब्धता की पूरी कानूनी रूपरेखा दी गई है। एनएफएसए कानून के तहत पीडीएस, आईसीडीएस, अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील योजना आदि सभी मौजूदा योजनाओं को एक जगह इकट्ठा करके एक ही कानून के तहत समन्वित कर लिया गया है। इस कानून के फलस्वरूप शासन के अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय पैदा हुआ है।

इन अधिकारों को पाने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज और प्रावधान

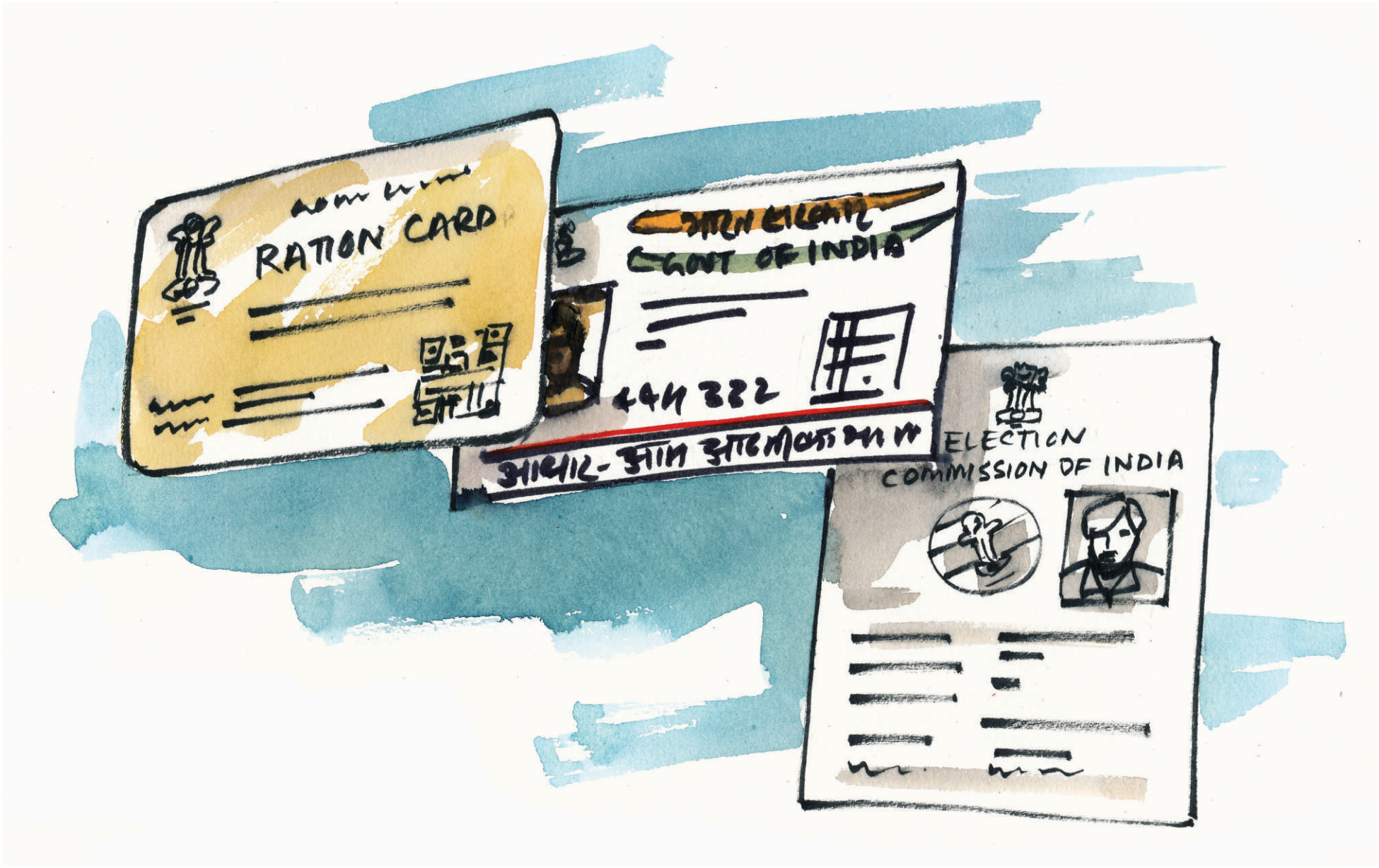

इन अधिकारों को पाने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज और प्रावधान

भोजन का अधिकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 में भोजन के अधिकार को एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। भोजन के अधिकार के तहत लक्ष्य केंद्रित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (टीपीडीएस) के तहत लोगों को रियायती दरों को अनाज मुहैया कराया जाता है।

केंद्र और राज्य सरकारें टीपीडीएस को मिलकर चलाती हैं। इस योजना के लिए केंद्र सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और उसे राज्य में लाभान्वितों की संख्या के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों के पास भेज देती है। इसके बाद केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में स्थित केंद्रीय डिपो में अनाज भिजवाती है।

राज्य सरकारें गरीब परिवारों की शिनाख्त करती हैं और राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों तक अनाज पहुंचाती हैं।

इन अधिकारों को पाने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज और प्रावधान

इस योजना के तहत राशन की दुकान से सस्ता अनाज खरीदने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड होना चाहिए और यह राशन कार्ड आधार नम्बर से जुड़ा होना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार

बच्चों में कुपोषण की समस्या को रोकने और स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला व हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए 1995 में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पका हुआ लंच मुफ्त खिलाया जाता है। 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा अधिकार कानून भी पारित किया जिसके तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था।

इन अधिकारों को पाने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज और प्रावधान

गरीबी का वर्गीकरण

बीपीएल परिवारों की गिनती का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि किन-किन परिवारों को सामाजिक सहायता की जरूरत है। यानी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) और अन्य सहायता सेवाओं की आवश्यकता कितने परिवारों को है।

2010 में यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूएडीएआई) और नैशनल कोअलीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर दि सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि "आधार कार्ड को प्रावसियों सहित सभी गरीब और हाशियाई तबकों के लिए उपलब्ध कराया जाए और इसकी मदद से वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकें।"

राशन कार्ड

अगर हमारे पास राशन कार्ड हो तो हम राशन की दुकानों से रियायती दर पर जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। राज्य सरकारें प्रति व्यक्ति आय या मासिक आय के आधार पर लोगों को राशन कार्ड जारी करती हैं। फिलहाल हमारे देश में तीन तरह के राशन कार्ड मिलते हैं:

इन अधिकारों को पाने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज और प्रावधान

(1) अंत्योदय राशन कार्ड ऐसे परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी आमदनी प्रति माह २५० रुपये प्रति व्यक्ति से भी कम है।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड ऐसे परिवारों को दिए जाते हैं जो बीपीएल श्रेणी की शर्तों पर खरे उतरते हैं।

(3) गरीबी की रेखा से ऊपर (एपीएल - एबाऊ पॉवर्टी लाइन) राशन कार्ड सभी परिवारों को दिए जाते हैं चाहे उनकी मासिक आय कुछ भी क्यों न हो।

मतदाता पहचान पत्र

मतदाता पहचान पत्र मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं पर दावेदारी के लिए पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसे पहचान और आवास, दोनों के सुबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

हकदारी पाने में कठिनाइयां और उनके संभावित समाधान

हकदारी पाने में कठिनाइयां और उनके संभावित समाधान

प्रवासी मजदूरों को अपनी पहचान साबित करने और अपने आवास का सबूत पेश करने में खासी समस्या पेश आती है। इसका कारण यह है कि वे प्रवासी होने के चलते बार-बार अपना घर बदलते रहते हैं।

इस भाग में हम बताएंगे कि मजदूर अपनी पहचान और पते के सबूत के तौर पर किन-किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पहचान और पते का सुबूत

(१) पहचान और (२) निवास स्थान का सुबूत बहुत सारे अधिकारों और सुविधाओं की हकदारी के लिए आवश्यक होता है। फिलहाल आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकों की पहचान और निवास स्थान के सुबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों दस्तावेजों में निवास स्थान का पता भी शामिल होता है। मगर अधिकारों व सुविधाओं पर हकदारी के लिए पहचान और निवास के इन साक्ष्यों को आप सब जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरे देश में राशन कार्ड हासिल करने का पैमाना यह है :

हकदारी पाने में कठिनाइयां और उनके संभावित समाधान

(१) अगर आपके पास किसी भी राज्य में पहले से कोई राशन कार्ड है तो नया राशन कार्ड बनवाने से पहले आपको पिछले राशन कार्ड को रद्द करके सरकार के पास जमा कराना होगा; और

(२) जहां से आप राशन लेते हैं वहां के निवास स्थान का सुबूत पेश करना होगा।

इसका नतीजा यह होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले प्रवासी मजदूर राशन कार्ड के तहत मिलने वाले फायदे नहीं उठा पाते क्योंकि वे खास मौसम के दौरान या अलग-अलग समय पर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।

राशन कार्ड के मामले में प्रवासी मजदूरों के लिए एक संभावित समाधान यह हो सकता है :

(क) प्रवासी मजदूरों के मौजूदा राशन कार्ड को उनके घर के ऐसे सदस्य के नाम पर स्थानांतरित किया जाए जो पीछे घर पर ही रहना वाला/वाली है।

(ख) प्रवासन के बाद आप जहां जाकर रह रहे हैं वहां एक नया राशन कार्ड बनवा लें।

हकदारी पाने में कठिनाइयां और उनके संभावित समाधान

अपने मतदाता पहचान पत्र को भी आप लक्ष्य राज्य के पते पर स्थानांतरित करा सकते हैं। इसके लिए नजदीकी चुनाव कार्यालय में एक आवेदन जमा कराएं।

लाभों की पोर्टेब्लिटी के लिए राज्य सरकारों के बीच भी तालमेल होना चाहिए। इससे प्रवासी मजदूरों को लक्ष्य क्षेत्र में लाभ पाने में भी मदद मिलेगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सरकारों के बीच इसी तरह का एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत प्रवासी मजदूरों को शिक्षा, आवास और पीडीएस के लाभ मिलने लगे हैं।

इसी तरह गुजरात सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रवासन कार्ड योजना शुरू की है।

हकदारी पाने में कठिनाइयां और उनके संभावित समाधान

प्रवासन कार्ड योजना 2009 में शुरू की गई थी। यह योजना ऐसे मौसमी प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जो अपने माता-पिता के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत ऐसे बच्चों की शिक्षा को जारी रखना और उनकी ड्रॉपआउट दर पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। प्रवासन कार्ड योजना के तहत राज्य के भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चे अपने निवास स्थान के आसपास छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं और अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के बच्चों को उनके माता-पिता के कार्यस्थल के आसपास अस्थायी स्कूलों में टेंट स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत शिक्षा प्रदान की जाती है।

महत्वपूर्ण बातें

किसी चीज को पाने, करने या रखने के अधिकार को हकदारी कहा जाता है। ये ऐसे प्रावधान होते हैं जो समाज में लागू कानूनों के मुताबिक तय किये जाते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम होते हैं जिनसे समाज के खास तबकों को लाभ मिलते हैं।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत सरकार की तरफ से नागरिकों को कुछ निश्चित सुविधाएं दी जाती हैं। ये सुविधाएं ऐसे लोगों या तबकों को दी जाती हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है।

साल भर में 240 दिन काम कर चुके प्रत्येक मजदूर को वेतन सहित छुट्टी पाने का अधिकार होता है।

ईंट भट्टों को ईपीएफ और एमपी कानून के तहत अनुसूचित उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है।

बीओडब्ल्यूसीईएसएस कानून के तहत मिलने वाले लाभ ईंट भट्टों के मजूदरों को भी मिलते हैं। इसके लिए उन्हें कार्यस्थल पर या उनके निवास स्थान पर पंजीकृत किया जाता है।

बीओसीडब्ल्यू कानून के तहत भट्टा मजदूर भी निर्माण मजदूर की श्रेणी में आते हैं।

महत्वपूर्ण बातें

इस कानून के तहत पंजीकरण के लिए मजदूर की उम्र 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही, यह भी जरूरी है कि वह 90 दिन तक एक निर्माण मजदूर के रूप में काम कर चुका/चुकी हो।

बीओसीडब्ल्यू कानून में संबंधित प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, काम के घंटों, कल्याणकारी उपायों, कार्य परिस्थितियों और ओवरटाइम मजदूरी के भुगतान के नियम तय किए गए हैं।

बीओसीडब्ल्यू की सदस्यता के माध्यम से भट्टा मजदूर कई तरह के आर्थिक और अन्य लाभ हासिल कर सकते हैं।

कानून के तहत मजदूरों को मिलने वाले दूसरे लाभों में ग्रेच्युटी का भुगतान और श्रमिक क्षतिपूर्ति यानी मुआवजे का भुगतान भी शामिल है।

हमारे देश में मजदूरों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आरएसबीवाई, आईसीडीएस, आशा, एएनएम और पीडीएस आदि सभी योजनाएं व लाभ मजदूरों के लिए भी उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण बातें

गौर करने की बात है कि इस तरह की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें पहचान के सुबूत दिखाने होते हैं।

पहचान का सुबूत और निवास स्थान का सुबूत हम सभी के पास होना चाहिए। ज्यादातर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड नम्बर भी होना चाहिए।

इनमें से बहुत सारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए हमें उस राज्य में निवास का साक्ष्य पेश करना होगा जहां से हम ये लाभ लेना चाहते हैं।

By

BUILDING A WIDER HORIZON
CEC
WITH LABOUR

In partnership with

प्रयास Prayas
www.prayaschittor.org

terre des hommes
Help for Children in Need

Funded By the European Union